



सं. मानू/हिन्दी प्रकोष्ठ/2021/1025

दिनांक- 25 जनवरी, 2021.

परिपत्र

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगे।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी से अनुरोध है कि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वह अपने आधिकारिक कार्यों के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें।

यदि हिन्दी में सहायता की आवश्यकता हो तो, हिन्दी प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है।

प्रभारी कुलसचिव  
+

सेवा में

सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / केन्द्रों एवं निदेशालय के निदेशकों / प्रधानाचार्य / प्रभारी / केन्द्रीय पुस्तकालय / अनुभाग अध्यक्षों / सटैलाइट कैम्पस (शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक), क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-क्षेत्रीय केन्द्रों, कुलानुशासक, प्रोवोस्ट (पुरुष एवं महिला)

प्रति:

1. कुलपति/ कुलसचिव/ वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यालय
2. निदेशक, सीआईटी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)
3. संबंधित फाइल